न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 67 / 2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1. भैरूशंकर पुत्र जमना लाल ब्राह्मण नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुनील पुत्र जगदीश चन्द्र ब्राह्मण नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल ब्राह्मण नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.09.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत किया। यह कि सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़–प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2121 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2120 रकबा 0.2665 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2139 रकबा 0.2276 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। यह कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि चित्तौडी दरवाजा हमीरगढ से स्टेशन हमीरगढ़ की तरफ जाने वाले डामरीकरण रोड़ से होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 2118 रकबा 0.0126 हैक्टयर जो कि गै.मु. रास्ता दर्ज है, जिससे होकर

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

अपनी आराजी नम्बर 2120, 2121, 2139 मे आता जाता है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाता ले जाता है, जो गाडी गडार रास्ता बना हुआ। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई सरल, सुगम रास्ता मौजूद नहीं है। यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षीगण की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थी की आराजी को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षी संख्या 01 एक को दिनांक 10 दस सितम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को रास्ते मे अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। इस कारण से प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़–प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़–प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 2121 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2120 रकबा 0.2665 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2139 रकबा 0.2276 हैक्टयर में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि चित्तौडी दरवाजा हमीरगढ से स्टेशन हमीरगढ़ की तरफ जाने वाले डामरीकरण रोड़ से होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 2118 रकबा 0.0126 हैक्टयर से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे आता जाता है, को 15 फीट चौडाई में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 06.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 विधिवत सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई दिनांक 27.05.2024 पर अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 व 02 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2024 को तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हमीरगढ के पत्रांक 379 दिनांक 11.07.2024 से मार्फत भू0अ0नि0 हमीरगढ व हल्का पटवारी हमीरगढ से तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में भू0अ0नि0 हमीरगढ व हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा हमीरगढ स्थित आराजी संख्या 2118 रकबा 0.0126 है0 में से 0.0097है0(15X70 वर्ग फीट) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार हमीरगढ मार्फत भू0अ0नि0 एवं हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र 0.0097है0 का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी संख्या 2118 रकबा 0.0126 है0 में से 0.0097है0(15X70 वर्ग फीट)रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 0.0097है0 हैक्टयर का रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो इसलिए रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 2121 रकबा 0.0253 है0, 2120 रकबा 0.2655है0, आ0न0 2139 रकबा 0. 2276है0, कुल किता 03 रकबा 0.5184 है0, में आने—जाने के लिए आराजी संख्या 2118 रकबा 0.0126 है0 में से 0.0097 है0 भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार हमीरगढ द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 2118 रकबा 0.0126 है0 में से 0.0097 है0) के पक्ष में तहसीलदार हमीरगढ के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा 0.0097 हैक्टयर मालियत राशि की दोगुनी राशि (0.0097 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ